


फर्द अहकाम

ग्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

देवीलाल विष्की खवला

उकदमा 212 PTA 05 पत्रावली संख्या 0512 सन

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
<p>16/11/25 बकुलाय वादी / प्रतिवादी उप. <u>जवाक विष्की गरी</u> के लिये मौका चाहते है। अतः <u>अज्ञान</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक <u>04/03/25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">SDO <u>खवला</u></p>	
<p>4/3/25 बकुलाय वादी / प्रतिवादी उप. <u>जवाक विष्की गरी</u> के लिये मौका चाहते है। अतः <u>अज्ञान</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक <u>13/5/25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">SDO <u>मावली</u></p>	
<p>13/5/25 बकुलाय वादी / प्रतिवादी उप. <u>जवाक विष्की गरी</u> के लिये मौका चाहते है। अतः <u>अज्ञान</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>15/7/25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(SDO) <u>मावली</u></p>	
<p>15/7/25 पत्रावली पेज हुई। अधि. 03 म पत्र. उप.। वि.स. 1,3 को पत्रावली अवसर दिये जाने पर भी अधि. द्वारा जवाक पेज नहीं किया। अतः जवाक पेज नहीं किये जाने से उ.स. 1,3 के जवाक के अवसर को बंद किया जाता है। वि.स. 2 के अवसर पूर्व में कादतामील प्राप्त नि.स. 2 मावाप दिलवाई गई। अनुपस्थित रहे। अतः अनुपस्थित रहे पर वि.स. 2 के विरुद्ध एकरका कार्यवाही अप्रलभ में लाई जाती है। पत्रावली वस्तु 05/07/25 दिनांक 8/8/25 को पेज दी।</p> <p style="text-align: right;">M</p>	

08/8/25

बकुलाव वादी/प्रतियोगी उप बहस

के लिये मौका चाहते है। अतः एक

अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 20/08/25

को पेश हो।

(SDO) मावली

20/08/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी
मय स्वयं प्रार्थी अनुपस्थित। अधिवक्ता
प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी को बार-बार
आवाजे दिलवाई गई। समय साँय 5:00PM
हो चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं
प्रार्थी अब तक अनुपस्थित हैं। अतः
अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी
अनुपस्थित रहने पर प्रार्थी का प्रार्थना
पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज
किया जाता है। पत्रावली फँसल शुमार
होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
(SDO) मावली